मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 11–37/2005/एक/9 भोपाल, दिनांक 25 जुलाई, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैंः–

1. लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के दायित्व–

1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (5) (2) के अंतर्गत उप खण्ड/अनुविभाग स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी को नामांकित करने का प्रावधान किया गया है, जिनका मुख्य कार्य इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिये प्राप्त आवेदन–पत्र/अपील को संबंधित लोक सूचना अधाकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी/राज्य सूचना आयोग को भेजना है।

1.2 शासन की जानकारी में कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा आवेदन–पत्रों का निराकरण किया जा रहा हैं तथा लोक सूचना अधिकारी इस प्रकार निराकृत प्रकरणों में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्यवाही कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है एवं इस तरह की कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।

1.3 ऐसे कार्यालय जहॉ लोक सूचना अधिकारी के साथ–साथ सहायक लोक सूचना अधिकारी भी नामांकित हैं, वहॉ सहायक लोक सूचना अधिकारी आवेदन–पत्रों के निराकरण से संबंधित प्रक्रिया में लोक सूचना अधिकारी की सहायता कर सकते हैं, परंतु सभी अभिलेख लोक सूचना अधिकारी के नाम से संधारित रहेंगे तथा आवेदनों पर निर्णय लेने की कार्यवाही लोक सूचना अधिकारी के स्तर से ही की जाएगी।

1.4 लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के प्रवास/अवकाश पर मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में अधिनियम के अधीन प्राप्त आवेदन/अपील प्रकरणों के निराकरण हेतु स्पष्ट व्यवस्था बनायी जाए, जिससे कि आवेदक/अपीलार्थी को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

निरंतर...2.....

2. <u>आवेदन–पत्रों एवं अपील प्रकरणों का निराकरण –</u>

2.1 शासन की जानकारी में कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आवेदन/अपील प्रकरणों को प्रशासकीय प्रकरण मानकर उनका निराकरण किया गया है। कुछ अपीलीय प्रकरणों में, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित नहीं किये गये हैं एवं नोटशीट पर दिए गये निर्देशों के तारतम्य में अधीनस्थ अधिकारी द्वारा संबंधित लोक सूचना अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिए गये हैं।

2.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी के लिए प्रस्तुत आवेदन अथवा अपील का निराकरण अर्धन्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है एवं लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी को इस संबंध में अपने हस्ताक्षर से स्पष्ट आदेश (Speaking order) पारित करना है। आदेश में अधिनियम की धाराओं एवं उन कारणों को स्पष्ट किया जाना चाहिए, जिनके आधार पर जानकारी देना अस्वीकार किया गया है। साथ ही लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने आदेश में प्रथम/द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के नाम एवं पते का उल्लेख करते हुए आवेदक/अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाना है कि उनके द्वारा कितनी अवधि में अपील की जा सकती है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें

(अखिलेश अर्गल)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 11–37/2005/एक/9 भोपाल, दिनांक 25 जुलाई, 2006

प्रतिलिपि–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
7. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
9. सचिव, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/खंडपीठ ग्वालियर /इंदौर,
13. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
15. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
16. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, विंध्याचल भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग